

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)

Phone : 0751-2341166, Fax : 0751-2341166, E-Mail : dfotgwa@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./22/ 14739
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 15/12/2022

मुख्य वन संरक्षक
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

विषय :- ग्वालियर जिले के अन्तर्गत मालनपुर 220 एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही. डीसीडीएस ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित वन भूमि रकवा 1.5684 हेक्टेयर वन भूमि एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी. पावर ट्रांसमिशन पैकेज-11 लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ :- 1- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-एमपीबी025/2022-बीएचओ दिनांक 17-08-2022

2-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-4/14/2022/10-11/2953 दिनांक 24-08-2022

3-आवेदक विभाग एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी. पावर ट्रांसमिशन पैकेज-11 लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर का पत्र क्रमांक//MP/Pkg-II/F&WL/250 दिनांक 26-08-2022

---0---

विषयांकित संदर्भित पत्रों के प्रकरण में निवेदन है कि ग्वालियर जिले के अन्तर्गत मालनपुर 220 एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही. डीसीडीएस ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित वन भूमि रकवा 1.5684 हेक्टेयर वन भूमि एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी. पावर ट्रांसमिशन पैकेज-11 लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर को उपयोग पर देने के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / 6-एमपीबी025/2022-बीएचओ दिनांक 17-08-2022 से उक्त प्रकरण में 07 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

क्रं.	चाही गई जानकारी	की गई पूर्ति
1	No objection certificates of concerned departments (Railway, WRD etc.) shall be submitted.	उक्त बिन्दु की पूर्ति आवेदक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 26-08-2022 से की गई है जानकारी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
2	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	उक्त बिन्दु की पूर्ति आवेदक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 26-08-2022 से की गई है जानकारी परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।
3	Justification for location of the project in forest land (countersigned by DFO) needs to be submitted.	उक्त बिन्दु की पूर्ति की गई जानकारी परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
4	Suitability certificate of CA land shall be submitted.	उक्त बिन्दु की पूर्ति की गई जानकारी परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

5	As per DSS analysis, about 0.53 ha. of forest land not included in proposed diversion area. However, as per Google image, this area seems agriculture land. its need to be clarified.	पारेषण लाइन कक्ष क्रमांक पी-27 से गुजर रही है जिसमें पी-27 के 1.5684 हेक्टेयर वन क्षेत्र के अतिरिक्त वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। गूगल इमेजनरी में दर्शित कृषि भूमि कक्ष क्रमांक पी-27 की सीमा से लगी राजस्व भूमि है।
6	It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment shall be clarified.	उक्त बिन्दु की पूर्ति आवेदक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 26-08-2022 से की गई है।
7	Scheme for dwarf/medicinal plantation scheme need to be submitted.	प्रभावित वन भूमि पर 06 वर्षीय औषधीय रोपण योजना राशि रू. 23,89,301/- की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर वृत ग्वालियर के आदेश क्रमांक 379 दिनांक 09-12-2022 से जारी की गई है जिसकी छायाप्रति परिशिष्ट -5 पर संलग्न है।

अतः भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से चाही गई अतिरिक्त 07 बिन्दु की जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव)
वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 15/12/2022

पृ0क्रमांक/मा0चि0/22/ 14-740

प्रतिलिपि:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आपके पृ. क्रमांक/एफ-4/14/2022/10-11/2954 दिनांक 24-08-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल ग्वालियर